रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092023-248641
CG-DL-E-11092023-248641

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3813] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 11, 2023/भाद्र 20, 1945
No. 3813] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 11, 2023/BHADRA 20, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2023

सं. 31/2023

विषयः वनस्पति पदार्थों से युक्त फूड सप्लीमेंट की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 3975(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 की अनुसूची–2 को निम्नानुसार संशोधित करती हैः

क्र.सं.	आईटीसी एचएस कोड	विवरण	मौजूदा नीति	नीतिगत शर्तें	संशोधित नीतिगत शर्तें
89क	1302	वनस्पति सैप्स और एक्स्ट्रैक्ट्स, पेक्टिक पदार्थ, पेक्टिनेटस और पेक्टेटस, अगर–अगर और अन्य म्यूसिलेजेस और थिकनर्स चाहे वनस्पति	मुक्त	यूरोपीय संघ (ईयू) और यूनाईटेड किंगडम को भारत में उद्गमित अथवा वहां से भेजे जाने वाले वनस्पति पदार्थ युक्त फूड सप्लीमेंट जो मानव अथवा पशु उपभोग के लिए हो, का निर्यात	• यूरोपीय संघ (ईयू) और यूनाईटेड किंगडम को भारत में उद्गमित अथवा वहां से भेजे जाने वाले वनस्पति पदार्थ युक्त फूड सप्लीमेंट जो मानव अथवा पशु उपभोग के लिए हो, का निर्यात आधिकारिक प्रमाण–पत्र जारी करने के

		उत्पादों से परिवर्तित, उद्भूत हो या नहीं।		आधिकारिक प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए नामित सक्षम प्राधिकारी निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)/निर्यात निरीक्षण अभिकरण (ईआईए), द्वारा जारी आधिकारिक प्रमाण पत्र के अध्यधीन अनुमत है। आधिकारिक प्रमाण–पत्र यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार इस प्रयोजनार्थ ईआईसी/ईआईसी अनुमोदित प्रयोगशालाओं से संतोषजनक विश्लेषणात्मक परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जारी किया जाएगा।	लिए नामित सक्षम प्राधिकारी निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)/निर्यात निरीक्षण अभिकरण (ईआईए), द्वारा जारी आधिकारिक प्रमाण पत्र के अध्यधीन अनुमत है। आधिकारिक प्रमाण–पत्र यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार इस प्रयोजनार्थ ईआईसी/ईआईसी अनुमोदित प्रयोगशालाओं से संतोषजनक विश्लेषणात्मक परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जारी किया जाएगा। • यूरोपीय संघ (ईयू) और यूनाईटेड किंगडम (यूके) को भारत में उद्गमित अथवा वहां से भेजे जाने वाले वनस्पति पदार्थ युक्त फूड सप्लीमेंट जो मानव अथवा पशु उपभोग के लिए हो, सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित ईपीसी, शेफेक्सिल द्वारा आधिकारिक प्रमाण जारी करने के अध्यधीन इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए, यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित अपेक्षा के अनुसार इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित वनस्पति युक्त खाद्य सप्लीमेंट के निर्यात के लिए इटीओ परीक्षण के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से संतोषजनक विश्लेषणात्मक परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर भी अनुमति दी गई हैं।
93क(1)	2106	खाद्य निर्मितियां जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट अथवा शामिल न हों	मुक्त		

2. इस अधिसूचना का प्रभावः

यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम को आईटीसी एचएस कोड 1302 और 2106 के तहत मानव अथवा पशु उपभोग के लिए अभिप्रेत वनस्पति पदार्थ युक्त फूड सप्लीमेंट के निर्यात के लिए ईआईसी/ईआईए या शेफेक्सिल द्वारा आधिकारिक प्रमाणपत्र जारी किए जाने की आवश्यकता होगी। शेफेक्सिल को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए आधिकारिक प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति है।

[फा. सं. 01/91/180/027/एएम22/ईसी/30745]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2023

No. 31/2023

Subject: Amendment in Export Policy of Food Supplements containing botanicals.

S.O. 3975(E).—The Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023 hereby amends the schedule -2 of ITC (HS) Export Policy, 2018**,** as under :-

Sl.No.	ITS HS codes	Description	Present Policy	Policy conditions	Revised Policy conditions
89A	1302	Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-	Free	The export of Food Supplements containing botanicals to European Union (EU) and United Kingdom (UK) originating in or consigned from India	• The export of Food Supplements containing botanicals to European Union (EU) and United Kingdom (UK) originating in or consigned from India and intended for human or animal consumption, allowed subject to

		agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products.		and intended for human or animal consumption, allowed subject to issuance of the official certificate issued by Export Inspection Council (EIC)/ Export Inspection Agencies (EIAs), the designated Competent Authority for issuance of official certificate. The official certificate will be issued based on the satisfactory analytical test report from EIC/EIC approved laboratories for the purpose as per the requirement laid down by EU.	issuance of the official certificate issued by Export Inspection Council (EIC)/ Export Inspection Agencies (EIAs), the designated Competent Authority for issuance of official certificate. The official certificate will be issued based on the satisfactory analytical test report from EIC/EIC approved laboratories for the purpose as per the requirement laid down by EU. • The export of Food Supplements containing botanicals to European Union (EU) and United Kingdom (UK) originating in or consigned from India and intended for human or animal consumption, also allowed, subject to issuance of the official Certificate by the designated EPC, SHEFEXIL, as Competent Authority for a period of three months from the date of issuance of this Notification, based on the satisfactory Analytical Test Report from NABL accredited laboratories for ETO testing for Food Supplements containing Botanicals approved for the purpose as per the requirement laid down by EU.
93A (1)	2106	Food preparations not elsewhere specified or included.	Free		

2. Effect of This Notification:

Export of Food Supplements containing botanicals under ITC HS code 1302 and 2106 intended for human or animal consumption to European Union and United Kingdom will require issuance of official certificate by EIC/EIA or SHEFIXIL. SHEFEXIL is allowed to issue an official certificate for a period of three months from the date of issuance of this Notification.

[F. No. 01/91/180/027/AM22/EC/ 30745]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex- Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.09.11 21:33:40 +05'30'